भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1544

उत्तर देने की तारीख 09 फरवरी, 2026

सोमवार, 20 माघ, 1947 (शक)

पीएमकेवीवाई कार्यान्वयन में अनियमितताएं

1544. श्री सुदामा प्रसाद:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) की हालिया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) लेखापरीक्षा में लाभार्थियों के बैंक खातों की जानकारी गुम होने या अविधिमान्य होने सहित कई मुद्दे उजागर हुए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) कई लाभार्थियों के लिए दोहराए गए खाता नंबरों के मामलों सहित खाली या अविधिमान्य बैंक खाता प्रविष्टियों के साथ प्रमाणित उम्मीदवारों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या सीएजी लेखापरीक्षा में कई पीएमकेवीवाई प्रशिक्षण केंद्र भौतिक निरीक्षण के दौरान बंद पाए गए, जबकि अभिलेखों के अनुसार वहाँ प्रशिक्षण गतिविधियां जारी थीं, यदि हां, तो ऐसे प्रशिक्षण केंद्रों की संख्या राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितनी है;

(घ) क्या सरकार ने इन गतिविधियों को विनियमित करने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(ङ) क्या इस संबंध में कोई समिति गठित की गई है और भविष्य में ऐसी समस्याओं के रोकथाम के लिए क्या कोई उपाय किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (ड.): नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) के प्रारंभिक चरणों से वर्ष 2022 तक अवधि की कार्यनिष्पादन लेखापरीक्षा की और डेटा सत्यापन, लाभार्थी विवरण, आकलनकर्ता जानकारी, पात्रता सत्यापन और निगरानी प्रक्रियाओं से संबंधित पारंपरिक प्रणालियों में कुछ कमियों को उजागर किया, जो मुख्य रूप से उस समय प्रचलित आईटी नियंत्रणों की सीमाओं और विकेंद्रीकृत कार्यान्वयन के कारण थीं।

सरकार ने पीएमकेवीवाई 4.0 के तहत व्यापक सुधारात्मक उपाय शुरू किए हैं, जिनमें आधार-आधारित ई-केवाईसी, चेहरे का प्रमाणीकरण और जियो-टैग्ड उपस्थिति, क्यूआर-कोडित डिजिटल प्रमाणपत्र, स्किल इंडिया डिजिटल हब पर वास्तविक समय डैशबोर्ड, आकलनकर्ता और प्रशिक्षण केंद्र मान्यता को सुदृढ़ करना, कौशल समीक्षा केंद्र के माध्यम से स्वतंत्र निगरानी, स्पष्ट मुख्य कार्य निष्पादन संकेतकों के साथ संशोधित निगरानी दिशानिर्देश और ठोस दंड और रिकवरी ढांचागत प्रणाली शामिल हैं।

जहां भी नियमों के पालन न होने की पुष्टि हुई है, वहां निलंबन, ब्लैकलिस्टिंग, धन की वसूली और अन्य कठोर कदम सहित अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है, जिससे इस योजना के तहत सशक्त जवाबदेही, सत्यापन और निगरानी तंत्र को संस्थागत रूप दिया गया है।

*****